(353)

पत्रांक–16 / प्र0सु0–02–02 / 2013 का०– 4479

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

राजीव गौबा,
मुख्य सचिव, झारखण्ड।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 19/05/2015

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानान्तर्गत सूचना का स्वप्रकटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 की उपधारा–1 (ख), (ग), (घ) में वर्णित प्रावधानान्तर्गत लोक प्राधिकारों से कतिपय सूचना के स्वप्रकटन की अपेक्षा की गई है।

उक्त अधिनियम की धारा–4(2) के अनुसार "प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा–1 के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचन के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।"

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सरकार का अधिकारिक वेबसाईट www.jharkhand.gov.in कार्यरत है। इसमें सभी विभागों के द्वारा विभिन्न शीर्षों में सूचना के अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार झारखण्ड सरकार का ई–गजट पोर्टल (jhr2.nic.in/egazette/) भी कार्यरत है जिसमें अधिसूचनाओं के गजट करने की व्यवस्था की गई है। कतिपय विभागों ने अपना वेबसाईट भी विकसित कर लिया है। तथापि यह देखा जा रहा है कि उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक मोड में सूचना के स्वप्रकटन का कार्य नहीं हुआ है।

अतः अनुरोध है कि विभिन्न उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनहित में सूचना के स्वप्रकटन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय।

विश्वासभाजन

(राजीव गौबा)
मुख्य सचिव।